



UPFD010078522019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, पोक्सो
न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

उपस्थित: अवधेश कुमार सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

पी०एस०टी संख्या-2285 सन 2019

CNR NO.UPFD01-007852-2019

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोजक।

बनाम

नन्दू पुत्र बांकेलाल, निवासी भगवान नगर, गली नम्बर-4, थाना उत्तर, जिला
फिरोजाबाद । अभियुक्त

अपराध संख्या-349/2019,
धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व
धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम
थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

1- यह पुलिस चालानी केस पुलिस थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्त नन्दू के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं - 349/2019 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा०द०सं० व 3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर विचारण हेतु संस्थित किया गया है।

2- भा०द०वि० की धारा 228 क में दिये गये विधिक उपबन्ध के आधार पर इस मामले में पीड़िता के नाम का उल्लेख करना समीचीन नहीं है और उसे निर्णय में पीड़िता शब्द से ही निर्दिष्ट किया जा रहा है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी की अवयस्क पुत्री पीड़िता जिसकी जन्मतिथि 01-01-2005 है जिसने हाल ही में गोपीश्याम इण्टर कालेज कौशल्यानगर जलेसर रोड फिरोजाबाद से इसी वर्ष कक्षा-8 पास किया है, दिनांक 06-09-2019 को दोपहर करीब 2.00 बजे अपनी माँ गायत्री देवी के साथ मौसी के घर मोहल्ला न्यू रामगढ़ गली नम्बर-1, जलेसर रोड फिरोजाबाद के यहाँ जा रही थी। रास्ते में पीड़िता ने अपनी माँ गायत्री देवी से कहा कि वह सिलाई का फार्म भरकर अभी आ रही है, कहकर चली गयी और शाम तक वापस नहीं आयी। काफी तलाश करने पर कुछ भी

पता नहीं चला। पीड़िता के बैग में मोबाइल नम्बर -6396537781 व 7980361869 एक किताब पर लिखे मिले। घटना से करीब 15 दिन पहले पीड़िता अपनी मौसी व नानी के घर गयी थी। पीड़िता की मौसी नीलम के मोबाइल नम्बर-9719256729 पर दिनांक 06-06-2019 को एक किसी लड़के का फोन आया जिसने पीड़िता के बारे में पूछा था। इन्हीं लोगों के द्वारा उसकी अवयस्क पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

4- वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या- 349/2019 अन्तर्गत धारा 363, 366 भा० दं०सं० कायम किया गया और उसका इन्द्राज जी०डी० में किया गया।

5- विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया तथा गवाहान के बयान अंकित किये। बाद विवेचना विवेचक ने अभियुक्त नन्दू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम का आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

6- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या -2/विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय द्वारा दिनांक 29-11-2019 को अभियुक्त नन्दू पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 363, 366, 376 व पोक्सो अधिनियम धारा 3/4 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

7- अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए पी०डब्लू०-1 वादी वीरेन्द्र कुमार, पी०डब्लू०-2 पीड़िता, पी०डब्लू०-3 मुख्य आरक्षी राजकुमार गौतम, पी०डब्लू०-4 निरीक्षक सविता सेंगर, पी०डब्लू०-5 डा० प्रमिला पार्या, पी०डब्लू०-6 निरीक्षक राजेश कुमार, पी०डब्लू०-7 डा० संजय कुमार गुप्ता व पी०डब्लू०-8 आशुलिपिक विशाल तिवारी को परीक्षित कराया गया है।

8- अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त ने आरोप को झूठा बताया तथा यह कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। पी०डब्लू०-1 के बयान की बाबत यह कहा है कि आरोप गलत है मौसी सोनी देवी को न तो वह जानता है और न ही पहचानता है। पी०डब्लू०-2 ने वादी मुकदमा के दबाव में आकर बयान दिया है, उसने किसी को बहला फुसलाकर ले जाकर कोई बलात्कार नहीं किया। पी०डब्लू०-3 के बयान की बाबत यह कहा है कि वादी पुलिसकर्मी है, जिस कारण मुकदमा विधिक राय के उपरान्त झूठी व मनगढ़न्त तहरीर तैयार की है। पी०डब्लू०-4 ने वादी को लाभ पहुँचाने के लिए गलत विवेचना की तथा झूठा व गलत

फंसाया गया है। पी०डब्लू०-5 ने वादी के बताने के अनुसार झूठा परीक्षण किया है। पी०डब्लू०-6 के बयान की बाबत कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू०-7 के बयान की बाबत कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू०-8 के बयान की बाबत कुछ नहीं कहना है। गवाहान झूठी गवाही दे रहे हैं। मुकदमा रंजिशन झूठे तथ्यों पर चलना कहा है। अभियुक्त ने अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया है।

9- अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में डी०डब्लू० -1 नीतू को परीक्षित कराया गया है।

10- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी वीरेन्द्र कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-उसकी पुत्री पीड़िता की जन्मतिथि 01-01-2007 है। पीड़िता ने गोपीश्याम इण्टर कालेज से कक्षा-8 पास किया था। दिनांक 09-06-2019 को समय दोपहर 2.00 बजे उसकी पुत्री अपनी माँ गायत्री देवी के साथ अपनी मौसी सोनी को न्यू रामगढ़ गली नम्बर-1 में रहती है, के यहाँ गयी थी। रास्ते में उसकी पुत्री ने अपनी माँ से कहा तुम मौसी के घर पहुँचो, वह सिलाई का फार्म भरकर आ रही है। शाम तक उसकी पुत्री वापस नहीं आयी तो उसने खोजबीन की। उसकी पत्नी ने उसे सूचना दी कि बेटा अभी लौटकर नहीं आयी है। उसने घर आकर उसकी खोजबीन की। पीड़िता के किताब पर दो मोबाइल नम्बर मिले थे। घटना से 15 दिन पहले भी जब पीड़िता अपनी मौसी के यहाँ थी, उसकी मौसी नीलम के फोन पर किसी लड़के ने नेहा के बारे में पूछा था। घटना के समय उसकी बेटा पीड़िता की उम्र 14 साल थी। इस घटना के सम्बन्ध में एक तहरीर दिनांक 17-06-2019 को लिखकर थाना उत्तर पर दी थी जो पत्रावली पर कागज संख्या-3 अ/4 है। उस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। दिनांक 10-07-2019 को उसकी बेटा पीड़िता को उसकी सुपुर्दगी में दिया गया था। सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर कागज संख्या-7 अ/1 है। उस पर प्रदर्शक-2 डाला गया।

11- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि-घटना दिनांक 09-06-2019 की दोपहर 2.00 बजे की है। वह अपनी मम्मी गायत्री देवी के साथ अपनी मौसी के घर मोहल्ला न्यू रामगढ़, जलेसर रोड जा रही थी। रास्ते में उसने अपनी मम्मी गायत्री देवी से कहा कि वह सिलाई का फार्म भरकर आ रही है जब वह सिलाई का फार्म भरने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में नन्दू जो उसके पड़ोस में रहता है, उसे बहला फुसलाकर जबरदस्ती अपने टैम्पो में बैठाकर जैन मन्दिर ले गया और जैन मन्दिर से बस के द्वारा नोएडा ले गया। नोएडा में उसे एक महीना रखा और उसके साथ बुरा काम (बलात्कार) किया। नन्दू के भाई प्रहलाद ने दोनों को देख लिया और वहाँ से जैन मन्दिर पर ले आया। वहाँ पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस उसे थाने ले गयी और उसका मेडिकल कराया। पुलिस ने

उसका मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ बयान कराया था। उसके बाद पुलिस ने उसे उसकी मम्मी की सुपुर्दगी में दिया था। सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर कागज संख्या-7 अ/1 है। उस पर प्रदर्श क-2 डाला जा चुका है। पीड़िता के बयान का एक सीलबन्द लिफाफा न्यायालय के समक्ष खोला गया, उसमें से निकले बयान धारा-164 दं०प्र०सं० पर लेगे फोटो व हस्ताक्षर ने पीड़िता ने शिनाख्त की है। उस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि वह अपनी मम्मी गायत्री देवी तथा मौसी नीतू के साथ अपनी दूसरी मौसी सोनी के घर न्यू रामगढ़ गली नम्बर-2 जा रही थी। उसने अपनी मम्मी से कहा कि वह सिलाई सीखने हेतु फार्म भरकर आती है। रास्ते में उसे नन्दू मिला। उसने उससे कहा कि वह उसके साथ चलें। पीड़िता के मना करने पर उसके पापा व भाई को जान से मारने की धमकी दी। फिर वह उसे आटो में बैठा कर जैन मन्दिर ले गया। जैन मन्दिर से नोएडा के लिए बस पकड़ी और नोएडा ले गया। वहाँ एक कमरा था, जहाँ उसे रखा। उसने उसके साथ तीन बार उसकी बिना मर्जी के शारीरिक सम्बन्ध बनाये। वह वहाँ एक महीना रही। तीन दिन बाद नन्दू वापस आ गया। दिनांक 02-07-2019 को पुलिस उसे नोएडा से ले आयी।

12- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-3 मुख्य आरक्षी राजकुमार गौतम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 17-06-2019 को यह साक्षी बतौर हैड मोहरीरि थाना उत्तर पर तैनात था। उस दिन साक्षी ने वादी वीरेन्द्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-349/2019 धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम नन्दू पंजीकृत किया था जिसकी चिक उसने आरक्षी/लिपिक अंकित दीक्षित से बोल बोल कर टाइप करायी थी जो पत्रावली पर कागज संख-3 अ/1 लगायत 3 अ/2 है। उस पर थाने की मोहर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। उस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। उक्त मुकदमें का खुलासा जी०डी० की रपट संख्या-31 समय 11.00 बजे दिनांक 17-06-2019 को किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या-9 अ/4 है। उस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

13- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-4 निरीक्षक सविता सेंगर द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 18-06-2019 को वह थाना उत्तर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन साक्षी को थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-349/2019 धारा-363, 366 भा०दं०सं० की विवेचना सुपुर्द की गयी थी। दौरान विवेचना उसने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक अंकित किये तथा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। वादी वीरेन्द्र कुमार एवं उसकी पत्नी गायत्री देवी के बयान अंकित किये गये। डी०सी०आर० की

रिपोर्ट भेजने हेतु आन लाइन सिसिंग चिल्ड्रन डिटेल्स सी.सी.डी.एन.एस. पर भरवाया गया था। सर्विलान्स से सी०डी०आर० रिपोर्ट प्राप्त कर पर्चे छपवाये गये तथा स्टेशन पेट्रोल पम्प व बस स्टैण्ड पर चस्पा करने की कार्यवाही की गयी। पीड़िता की बरामदगी बस स्टैण्ड फिरोजाबाद से की गयी तथा पीड़िता का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। पीड़िता का आन्तरिक, वाह्य व उम्र के सम्बन्ध में मेडिकल कराने हेतु महिला आरक्षी कमलेश के साथ जिला अस्पताल आगरा रेफर किया गया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी कागज संख्या-5 अ/1 अपने हस्तलेख में तैयार किया जिसकी साक्षी पुष्टि करता है। उस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। पीड़िता के मेडिकल का अवलोकन किया गया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० न्यायालय में कराया गया तथा मेडिकल प्रपत्र के आधार पर धारा-376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया गया। पीड़िता को न्यायालय के आदेशानुसार पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। मोहल्ले के लोगों गौरव शर्मा, शशीकान्त शर्मा के बयान अंकित किये गये। इसके बाद साक्षिया का स्थानान्तरण हो गया।

14- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-5 डा० प्रमिला पार्या द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 05-07-2019 को यह साक्षिया जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात थी। उस दिन साक्षिया ने उक्त प्रकरण की पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था। पीड़िता को महिला आरक्षी कमलेश सिंह लेकर आयी थी। साक्षिया द्वारा पीड़िता के परीक्षण हेतु सहमति के लिए उसका हस्ताक्षर एवं दाहिने हाथ का अंगूठा निशानी लिया गया। पीड़िता का पहचान चिन्ह काला तिल दाहिने चेहरे पर 5 सेमी० की दूरी पर दाहिने कान से उपस्थित था। पीड़िता का मासिक धर्म एक माह पहले आया था। पीड़िता के अनुसार पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्कार किया गया फिर नन्दू के भाई ने उसे उसके घर पहुँचा दिया। उक्त कथन की पुष्टि उसने अपना निशानी अंगूठा देकर की। पीड़िता घटना के बाद कई बार नहा चुकी है और अपने कपड़े बदल चुकी थी। बाहरी परीक्षण में पीड़िता के पूरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पीड़िता के आन्तरिक परीक्षण में बाहरी जननांग सामान्य थे। हाइमन फटा हुआ व भरा हुआ था। उसके द्वारा पीड़िता के दो वैजाइनल व स्मीअर स्लाइड पैथालाजी जांच के लिए भेजी गयी। दो स्मीअर सलाइड डी०एन०ए० जांच के लिए एफ०एस०एल० हेतु भेजा गया। उसके द्वारा उक्त मेडिकल मूल रिपोर्ट बनायी गयी एवं रेफर फार्म महिला आरक्षी कमलेश सिंह को प्राप्त करायी गयी। उक्त मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या-8 अ/1 लगायत 8 अ/12 है जिस पर साक्षिया अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती है। उस पर प्रदर्श

क-7 डाला गया। साक्षिया ने पीड़िता की पूरक रिपोर्ट भी दिनांक 17-02-2023 को अपने हस्तलेख में तैयार की थी जो न्यायालय के आदेशानुसार तैयार की गयी थी जिसके अनुसार पैथालाजी रिपोर्ट पैथालाजिस्ट जिला महिला चिकित्सालय आगरा के अनुसार दी गयी थी जिसकी रिपोर्ट नम्बर-P-19-13 Dated on 08-07-2019 है जिसमें जीवित व मृत शुक्राणु नहीं पाये गये। रेडियोलाजी रिपोर्ट के अनुसार कोहनी की एफीफाइसिस जुड़ी हुई थी। कलाई की एफीफाइसिस नहीं जुड़ी हुई थी। घुटने की एफीफाइसिस पारसली जुड़ी हुई थी। इलियक्रेस्ट की एफीफाइसिस नहीं जुड़ी हुई थी। सी०एम०ओ० आगरा के अनुसार पीड़िता की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गयी थी। बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। उक्त पूरक रिपोर्ट साक्षिया द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार की गयी थी जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। उस पर प्रदर्श क-8 डाला गया।

15- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-6 निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 28-09-2019 को मुकदमा अपराध संख्या-349/2019 धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम नन्दू की विवेचना उपनिरीक्षक सविता सेंगर से स्थानान्तरित होकर साक्षी को प्राप्त हुई थी। उस दिन साक्षी ने पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया तथा अभियुक्त का बयान अंकित किया एवं तमामी विवेचना एवं बयान पीड़िता धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा -376 भा०दं०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नन्दू के विरुद्ध धारा -363, 366, 376 भा०दं०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम बखूबी साबित होने पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जो पत्रावली पर कागज संख्या-4 अ/1 लगायत 4 अ/2 है। उस पर प्रदर्श क-9 डाला गया।

16- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-7 डा० संजय कुमार गुप्ता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-दिनांक 06-09-2019 को यह साक्षी जिला अस्पताल में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात था। उस दिन साक्षी ने उक्त प्रकरण के पीड़िता का एक्सरे खींचा था जिसको डा० प्रमिला पार्या महिला चिकित्सक द्वारा सन्दर्भित किया गया था। पीड़िता को महिला आरक्षी कमलेश सिंह थाना उत्तर द्वारा लाया गया था। इसके एक्सरे में कोहनी की हड्डियां जुड़ी हुई थी। घुटने की उपास्थियां आंशिक रूप से जुड़ी हुई थी। कलाई व कूल्हे(कमर) की उपास्थियां जुड़ी हुई नहीं थी। रिपोर्ट साक्षी के लेख व हस्ताक्षर में है तथा पहचान चिन्ह अंकित है जो पत्रावली पर कागज संख्या- 8 अ/14 रिपोर्ट संख्या-M. L. 2118 है। उस पर प्रदर्श क-10 डाला गया। पत्रावली पर दाखिल दो एक्सरे प्लेट मौजूद है उन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1 व

वस्तु प्रदर्श-2 डाले गये जो पत्रावली पर कागज संख्या-8 अ/16 है। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 14-15 वर्ष हो सकती है।

17- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-8 आशुलिपिक विशाल तिवारी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि-यह साक्षी न्यायालय में सी०एम०ओ० कार्यालय से आयु प्रमाणपत्र रजिस्टर लेकर जो 04-01-2019 से 25-10-2019 तक का विवरण है, को लेकर उपस्थित हुआ है जिसमें उक्त प्रकरण के पीड़िता की आयु से सम्बन्धित विवरण क्रम संख्या-260 दिनांक 8 जुलाई 2019 पर अंकित है जिसमें पीड़िता की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या-8 अ/15 मेडिकल उम्र प्रमाणपत्र पीड़िता का है, का विवरण रजिस्टर में अंकित विवरण से हू-ब-हू मिलता है जिस पर तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा० अरविन्द कुमार श्रीवास्तव व कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर हैं जिसकी साक्षी शिनाख्त करता है। उम्र प्रमाणपत्र पर प्रदर्श क-11 एवं क्रम संख्या-260 से सम्बन्धित फोटो कापी प्रमाणित कर दाखिल कर रहा हूँ। उस पर प्रदर्श क-12 डाले गये।

18- मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

19- अभियोजन की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता जिसकी जन्मतिथि 01-01-2007 है, को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण किया तथा अन्यत्र स्थान पर ले जाकर प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कर उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया, जिसे अभियोजन साक्षियों द्वारा पूर्णतया साबित किया गया है, इसलिए अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

20- अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा न तो वादी की अवयस्क पुत्री पीड़िता का अपहरण किया गया और न ही उसके साथ प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कर बलात्कार किया गया अभियोजन द्वारा कथित अपराध को साबित नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा उनके बयानों में पर्याप्त भिन्नता है। इस प्रकार अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

21- प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी अथवा नहीं?

पीड़िता की उम्र के निर्धारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जरनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2013) 7 SCC 262** में यह अवधारित किया है कि अपहरण एवं बलात्कार आदि के मामलों में भी

पीड़िता/अभियोक्त्री की उम्र का निर्धारण भी 2007 जुवेनाइल जस्टिस नियम-12 के अनुरूप ही विनिश्चय किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नये जुविनायल जस्टिस अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2015 की धारा 94 के अनुसार पीड़िता की उम्र का निर्धारण किया जायेगा। माननीय **पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गजब सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2019 (2) R.C.R.(cri.) 631** में यह स्थापित किया गया कि किशोर न्याय अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के आधार पर ही पीड़िता की उम्र का निर्धारण किया जायेगा।

22- इस सम्बन्ध में जहाँ तक तहरीर का प्रश्न है तो तहरीर में पीड़िता की 01-01-2007 लिखी गयी है। वादी की ओर से पीड़िता की उम्र की बाबत कोई अभिलेखीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। पीड़िता की उम्र की बाबत मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। जिसकी चिकित्सीय आख्या दिनांक-08-07-2019 में पीड़िता की उम्र मेडिकल बोर्ड की आख्या अनुसार लगभग 14 वर्ष अंकित की गयी है। उम्र की बाबत उक्त चिकित्सीय आख्या के खण्डन में बचावपक्ष की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि पीड़िता की उम्र घटना की तिथि पर 18 वर्ष से अधिक रही हो।

23- अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से व्यपहरण किया गया तथा पीड़िता को अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कर बलात्कार का अपराध कारित किया गया ?

24- इस सम्बन्ध में पोक्सो अधिनियम के अधीन मामलों पर विचार किये जाने हेतु पोक्सो अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जहाँ अभियुक्त का अभियोजन धारा 3,5,7,9 के अपराध के लिए किया जायेगा, वहाँ न्यायालय द्वारा इस आशय की उपधारणा की जायेगी कि उक्त अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है। इस प्रकार इस विशेष अधिनियम में आपराधिक विधि की सामान्य व्यवस्था के विपरीत अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा का प्रावधान है। यद्यपि यह उपधारणा खण्डनीय है व धारा 29 की उपधारणा को संज्ञान में लेने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन उपधारणा के तथ्यों को साबित करे।

25- इस सम्बन्ध में जहाँ तक तहरीर का प्रश्न है तो तहरीर के अनुसार वादी की अवयस्क पुत्री पीड़िता जिसकी जन्मतिथि 01-01-2005 है जिसने हाल ही में गोपीश्याम इण्टर कालेज कौशल्यानगर जलेसर रोड फिरोजाबाद से इसी वर्ष कक्षा-8 पास किया है, दिनांक 06-09-2019 को दोपहर करीब 2.00 बजे अपनी माँ गायत्री देवी के साथ मौसी के घर मोहल्ला न्यू रामगढ़ गली

नम्बर-1, जलेसर रोड फिरोजाबाद के यहाँ जा रही थी। रास्ते में पीड़िता ने अपनी माँ गायत्री देवी से कहा कि वह सिलाई का फार्म भरकर अभी आ रही है, कहकर चली गयी और शाम तक वापस नहीं आयी। काफी तलाश करने पर कुछ भी पता नहीं चला। पीड़िता की मौसी नीलम के मोबाइल नम्बर - 9719256729 पर दिनांक 06-06-2019 को एक किसी लड़के का फोन आया जिसने पीड़िता के बारे में पूछा था। इन्हीं लोगों के द्वारा उसकी अवयस्क पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया है।

26- इस सम्बन्ध में जहाँ तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो साक्षी पी०डब्लू०-1 वीरेन्द्र कुमार जो कि वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर को प्रदर्शक-1 तथा सुपुर्दगीनामा को प्रदर्शक-2 के रूप में साबित किया है तथा घटना कथानक का समर्थन किया है और अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि पीड़िता के जाने के बाद उसे थाने में प्रार्थनापत्र दिया था। उसकी साली नीलम के मोबाइल नम्बर पर घटना वाले दिन से 15 दिन पहले पीड़िता के बारे में पूछने के लिए किसी लड़के का फोन आया था। **पीड़िता चली गयी थी, इस बात की सूचना उसकी घर वाली ने उसे दी थी। यह सूचना दिनांक 09-06-2019 को दी थी।** उसने पीड़िता को चार पाँच दिन तक रिश्तेदारियों में तलाश किया था फिर यह मुकदमा लिखा दिया। मुकदमा लिखाने के करीब 15 दिन बाद पीड़िता बरामद हुई थी। बरामदगी की सूचना उसे थाने द्वारा दी गयी थी। इस घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ था। पीड़िता की बरामदगी वाले दिन मेडिकल हुआ था। घटना के बाद लड़की को तलाश करने के कारण रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब हुआ। घटना की तहरीर उसने एक व्यक्ति जो बैठा था, उसी से लिखवायी थी। जब उसकी लड़की पीड़िता उसकी सुपुर्दगी में मिली तब उसकी बहन सुधा उसके साथ थी। लड़की का मेडिकल आगरा में हुआ था। लड़की का मेडिकल कराने सीधे आगरा ले गये थे।

27- इस प्रकार इस साक्षी ने तहरीर के कथनों को बखूबी साबित किया है। पीड़िता के बरामद होने के बाद पीड़िता को कोर्ट के आदेश से साक्षी की सुपुर्दगी में दिया गया था।

28- इस सम्बन्ध में जहाँ तक पीड़िता के साक्ष्य का प्रश्न है तो साक्षी पी०डब्लू०-2 पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में बयान धारा 164 दं०प्र०सं० को प्रदर्शक-3 के रूप में साबित किया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि **जब वह सिलाई का फार्म भरने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में नन्दू जो उसके पड़ोस में रहता है, उसे बहला फुसलाकर जबरदस्ती अपने टैम्पो में बैठाकर जैन मन्दिर ले गया और जैन मन्दिर से बस के द्वारा नोएडा ले गया। नोएडा में उसे एक महीना रखा और उसके साथ बुरा काम (बलात्कार) किया।** अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षिया ने कथन किया है कि अभियुक्त उसे पकड़कर नहीं ले गया था। उसने उसके पिता व भाई को जान से

मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और हलवाई से भी कुछ नहीं कहा। मिठाई की दुकान से वह नन्दू के साथ जैन मन्दिर तक गयी थी। जैन मन्दिर से बस मिली थी। रास्ते में उसने किसी से इसलिए नहीं कहा, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि तेरे भाई व पापा को मार दूँगा। उसे डरा दिया था, इसी डर की वजह से उसने जैन मन्दि व रास्ते में किसी से नहीं कहा था कि नन्दू उसे बहला फुसलाकर ले जा रहा है। उसने डर की वजह से शोर भी नहीं मचाया। यह बात सही है कि नन्दू उसके साथ एक महीना रहा था। हम दोनों को नोएडा में आते-जाते नन्दू के भाई प्रहलाद ने देख लिया था, उसी दिन हम वहाँ से घर चले आये। हम नोएडा से थाने गये थे। उसने पुलिस को थाने में बताया था कि नन्दू उसे बहला फुसलाकर ले गया था। नन्दू भी उसके साथ थाने में गया था। पुलिस ने नन्दू को थाने में गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे दिन अदालत में गवाही के लिए लाये थे और अदालत में उसकी गवाही हो गयी थी। उसने अदालत में अपने बयान में यही बताया था कि नन्दू ने उसे एक महीने किराये के मकान पर रखा था।

29- अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में भी पीड़िता ने घटना कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि रास्ते में उसे नन्दू मिला। उसने उससे कहा कि वह उसके साथ चलें। पीड़िता के मना करने पर उसके पापा व भाई को जान से मारने की धमकी दी। फिर वह उसे आटो में बैठा कर जैन मन्दिर ले गया। जैन मन्दिर से नोएडा के लिए बस पकड़ी और नोएडा ले गया। वहाँ एक कमरा था, जहाँ उसे रखा। उसने उसके साथ तीन बार उसकी बिना मर्जी के शारीरिक सम्बन्ध बनाये। अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में भी उपरोक्त आशय का कथन करते हुए कहा है कि नन्दू उसे बहला फुसलाकर जबरदस्ती टैमें में बैठाकर पहे उसे जैन मन्दिर ले गया। इसके बाद उसे बहस द्वारा नोएडा ले गया। इसके बाद नोएडा में नन्दू ने उसे एक किराये के मकान में रखा तथा नन्दू ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना तीन बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये।

30- इस प्रकार पीड़िता के उक्त साक्ष्य एवं बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीड़िता को उसकी अवयस्कता का फायदा उठाकर बहला फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण किया गया तथा अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उस पर प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कर उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया। यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त द्वारा उक्त घटना को कारित किये जाने में पीड़िता की सहमति थी तो इस सम्बन्ध में कहना समीचीन होगा कि घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी, वह अपना भला बुरा नहीं समझती थी, यदि वह अपना भला बुरा समझती तो वह अभियुक्त के साथ नहीं जाती और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध न बनाती। अभियुक्त उसे न केवल बहला

फुसलाकर ले गया बल्कि उससे शारीरिक सम्बन्ध बिना उसकी मर्जी के बनाया। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता की अवयस्कता को दृष्टिगत रखते हुए उसे उसके पिता की सुपुर्दगी में दिया गया था।

31- विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा जोरदार ढंग से जिरह के दौरान स्पष्ट किया गया कि पीड़िता ने स्वयं अपनी इच्छा से नन्दू के साथ गयी थी और बतौर पति-पत्नी उसके साथ रही। अतः ऐसी दशा में जब पीड़िता अपनी मर्जी से गयी है तो अभियुक्त को दोषी ठहराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

32- उक्त के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के पैरा-6 में स्पष्ट प्रावधान है कि जहाँ स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है, बलात्कार किया जाता है या अनैतिक सम्बन्ध बनाये जाते हैं तो ऐसी दशा में सहमति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रस्तुत मामले में भी पीड़िता की सहमति का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। ऐसी दशा में विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष के इन तर्कों में कोई बल नहीं है।

33- बचावपक्ष के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, इसलिए घटना साबित नहीं होती है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 09-06-2019 की बतायी गयी है जबकि वादी द्वारा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17-06-2019 को समय 11.00 बजे दर्ज करायी गयी। इस सम्बन्ध में साक्षी पी०डब्लू०-1 वीरेन्द्र कुमार वादी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के बाद लड़की को तलाश करने के कारण रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब हुआ और कोई कारण नहीं था। कोई भी व्यक्ति जहाँ इस प्रकार की घटना होती है, वहाँ पर पहले वह अपनी लड़की की इधर उधर अपनी रिश्तदारियों में तलाश करता है, जब तक पीड़िता नहीं मिलती तब तक उसे ढूँढने का प्रयास करता है। वैसे भी भारतीय परिवेश में प्रायः इस प्रकार के अपराध के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में भय, बदनामी आदि के डर से एवं अन्य तमाम लोक लज्जा आदि के कारणों से पीड़ित पक्ष विलम्ब कारित कर देते हैं। उपरोक्त सम्प्रेक्षण से यह साबित हो चुका है कि पीड़िता के साथ उक्त अपराध अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है, इसलिए मात्र विलम्ब के आधार पर न तो घटना होना अस्वीकार किया जा सकता है और न ही अभियुक्त को इसका लाभ दिया जा सकता है।

34- इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट आफ यू०पी० बनाम मनोज कुमार पाण्डेय AIR 2009 SC 711 एवं विधि व्यवस्था सन्तोष मूल्या बनाम स्टेट आफ कर्नाटका (2010) 5 SCC 445 में यह अवधारित किया है कि बलात्कार के मामले में अभियोजन के ऊपर अधिरोपित विलम्ब को साबित करने का सामान्य नियम लागू नहीं होता है। इस

प्रकार उपरोक्त दोनों विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यदि देखा जाये तो बलात्कार जैसे अपराध में इस प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। इस प्रकार बचावपक्ष का यह तर्क बलहीन है।

35- विधि व्यवस्था **सच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य, राहुल मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए०आई०आर० 2015 एस०सी० 304** में माननीय न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया कि न्यायालय के दोनों दायित्व हैं कि वह देखे कि किसी निर्दोष को सजा न हो, किन्तु उसे यह भी देखना चाहिए कि कोई तकनीकी आधार पर छूट न जाये, जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया कि अभियोजन से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सभी सवाल जो काल्पनिक व बिना किसी आधार के हैं, उत्तर दे, तभी केस को साबित माना जाये। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध समुचित व विश्वसनीय श्रृंखलाबद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं तथा अभियोजन कथानक पूर्णतया साबित होता है।

36- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 4 SCC 262** में यह अवधारित किया गया है कि "अभियोजिता के साक्ष्य का सत्यापन विधि का नियम नहीं है, यह केवल विवेक का पथ प्रदर्शक है। जब बलात्कारी अपने अविवेकी अध्यवसाय में आनन्द मना रहे हो और आधा मानव समुदाय (औरत समुदाय) अपनी असहाय स्थिति के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रही हो, जहाँ कोई भी इज्जतदार स्त्री दूसरे पर बलात्संग का आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि इस कृत्य द्वारा वह अपनी सबसे बहुमूल्य इज्जत/आबरू कुर्बान कर देती है, ऐसी स्थिति में न्यायालय आदि काल से प्रचलित सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करेगा, साक्ष्य के सत्यापन पर जोर नहीं देगा भले ही, सम्पूर्ण मामले को देखने से ऐसा प्रतीत होता हो कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा कही गयी बात से न्यायालय के मस्तिष्क में सम्भावना उत्पन्न होती है। 'न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा है कि "कोई भी सम्वेदनशील न्यायाधीश जो सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखता है, बलात्कार की शिकार द्वारा दिये गये साक्ष्य को अस्वीकार नहीं कर सकेगा, जब तक कि साक्ष्य की सत्यता के विरुद्ध बहुत ठोस प्रमाण न हो।" प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के विपरीत कोई भी ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अभियोजन साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अविश्वास जाये। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने सकारात्मक साक्ष्य से घटना को साबित किया है। जब तक कि बचावपक्ष द्वारा इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता कि किन परिस्थितियों में अभियुक्त के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रही है जबकि वह अवयस्क है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया।

37- बचावपक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन

साक्षियों के बयानों में पर्याप्त भिन्नता है।

38- इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था धरणीधर बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2010(6) SCJ 662 में माननीय न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया कि-यदि साक्षियों के बयानों में आयी भिन्नता सामान्य प्रकृति की है और एक समय से पश्चात बयान होने पर आई हुई है तो ऐसी भिन्नता कोई विशेष महत्व नहीं रखती। साथ ही यदि उस भिन्नता से घटना का सार प्रभावित नहीं होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा का साक्ष्य व अन्य साक्ष्य अभियुक्त के सम्बन्ध में इतना विश्वसनीय है व अखण्डित है कि वह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।

39- उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में यदि देखा जाये तो पीड़िता के साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अभियोक्त्री सह अपराधी नहीं होती है, बल्कि वह अपराध की पीड़िता है। उसका बयान एक घायल साक्षी के बयान के रूप में समानता रखता है तथा बिना सम्पुष्टि के ही उसका बयान स्वीकार किया जा सकता है तथा मात्र उसके बयान के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, जब तक कि यह साबित न हो कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

40- अभियुक्त की ओर उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता के कपड़े विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नहीं प्रस्तुत किये गये, इसलिए घटना साबित नहीं होती है। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था विजय बनाम राज्य CRL.A.9/2019 निर्णीत दिनांकित 10-10-2019 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में यह स्थापित किया गया है कि- Merely because there is no positive F.S.L. report would not lost any doubt on the testimony of victim F.S.L. report is only a corroborative piece of evidence. इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में बचावपक्ष का यह तर्क भी बलहीन है, क्योंकि अभियोजन साक्ष्यों द्वारा कथित घटना को अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना साबित किया जा चुका है इसलिए विवेचना की यह कमी अभियुक्त को लाभ नहीं पहुँचाती है।

41- उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में जबकि यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त द्वारा ही पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले जाया गया और उसके साथ प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कर बलात्कार का अपराध कारित किया गया, जिसका खण्डन अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह से नहीं किया गया है, इसलिए तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

42- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना में किसी भी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिन

साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, वे हितबद्ध साक्षी हैं। अतः उनके कथन विश्वास किये जाने योग्य नहीं हैं।

43- इस सम्बन्ध में **विधि व्यवस्था मधुसूदन दास बनाम नरायन वाई० ए०आई०आर० 1983 SC 114** में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि इस तथ्य को कि कोई साक्षी किसी का सम्बन्धी है, अपने आप में उसके साक्ष्य की पूर्णतः उपेक्षा किये जाने की अपेक्षा के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जबकि सावधानियों से उसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

44- **सुग्रीव आदि बनाम उत्तर प्रदेश 2015 सी.आर.आई.एल.जे. 4125 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)** प्रस्तुत की गयी, उक्त विधि व्यवस्था के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि- "हितबद्ध साक्षी को मात्र इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि वह पीड़िता का पिता है अथवा उसका रिश्तेदार है।"

45- साक्षियों की विश्वसनीयता के सम्बन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था -**महावीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2017 एस.ए.आर.(क्रिमिनल) 8 सुप्रीम कोर्ट** का परिशीलन किया जाना न्यायोचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधारित किया गया कि-"एक हितबद्ध साक्षी को साक्ष्य का बड़ी सावधानी के साथ विवेचन करना चाहिए और ऐसे साक्षी के साक्ष्य पर केवल उसी दशा में विश्वास करना चाहिए, जबकि उसका साक्ष्य एक ऐसे साक्ष्य को प्रदर्शित करता हो, जो कि ठोस व विश्वसनीय हो।

46- पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से यह साबित हो चुका है कि पीड़िता के साथ उक्त अपराध अभियुक्त नन्दू के द्वारा ही कारित किया गया है तो मात्र इस आधार पर कि पत्रावली पर परीक्षित सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं, के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। वैसे भी प्रपत्र को साबित कराने का काम अभियोजन का होता है। अतः अभियोजन की इस कमी का लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

47- विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की प्रेग्नेन्सी रिपोर्ट निगेटिव आयी है और पीड़िता के आन्तरिक पार्ट व पूरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है जिससे बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है।

48- इस सम्बन्ध में साक्षी पी०डब्लू०-5 डा० प्रमिला पार्या के बयान का अवलोकन किया जाना समीचीन प्रतीत होता है जिनके द्वारा पीड़िता की चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क-7 एवं पूरक रिपोर्ट को प्रदर्श क-8 के रूप में साबित किया गया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में में यह कहा है कि बाहरी परीक्षण में पीड़िता के पूरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पीड़िता के आन्तरिक परीक्षण में बाहरी जननांग सामान्य थे। **हाइमन फटा व भरा हुआ था।** पथालाजी रिपोर्ट जिला महिला चिकित्सालय आगरा के अनुसार दी गयी

जिसकी रिपोर्ट नम्बर -P-19-13 Dated on 08-07-2019 है, जिसमें जीवित व मृत शुक्राणु नहीं पाये गये।

49- इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था- बी.सी. देवा उर्फ द्यावा बनाम स्टेट आफ कर्नाटका (2007) 12 SCC 122 में यह अवधारित किया है कि -Absence of injury on the person of the victim of rape does not lead to an inference that the accused did not commit forcible sexual intercourse. It was further held that even in the absence of external injury, the oral testimony of the prosecutrix that she was subjected to rape, cannot be ignored.

50- इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था स्टेट आफ हि० प्र० बनाम रघुवीर सिंह (1993) 2 CC 622 में यह अवधारित किया गया है कि " योनि के किनारों पर शुक्राणुओं का न पाया जाना और पुरुष के लिंग पर किसी प्रकार की चोट का न पाया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होता है। इन परिस्थितियों पर मामले के सम्पूर्ण विशिष्ट तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। दोषसिद्धि हेतु अभियोजिका के साक्ष्य की सम्पुष्टि सम्बन्धी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अतएव युक्तियुक्त तथ्यों और अभियोजिका के विश्वसनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्यों से होती है, के आधार पर दोषसिद्ध उचित है।

51- इस प्रकार पीड़िता के यौनि पर कोई चोट का न होना यह निष्कर्ष नहीं देता है कि अभियुक्त द्वारा कथित अपराध नहीं किया गया है। जबकि उपरोक्त सम्प्रेक्षण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त नन्दू के द्वारा ही अवयस्क पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से व्यपहरण किया गया तथा उसे अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवेशन लैंगिक हमलाकर बलात्कार का अपराध कारित किया गया।

52- कथित अपराध में अभियुक्त को ही क्यों शामिल किया, इसके स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त की ओर से डी०डब्लू०-1 के रूप में नीतू को परीक्षित कराया गया है जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि नन्दू को फर्जी तरीके से एक लड़की ने झूठे मुकदमें में फंसा दिया, इसलिए उससे नहीं रहा गया और वह न्यायालय में अपने वकील को साथ लेकर गवाही देने आयी है। अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षिया ने यह कथन किया है कि नन्दू उसका पड़ोसी है तथा उसका मुंह बोला भतीजा है। नन्दू के घर उसका आना जाना है तथा नन्दू से वह जेल में मिलाई करने गयी थी। इस साक्षिया के बयानों से

यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त से काफी मेल जोल रखती है, हितबद्ध साक्षी है। विवेचना के दौरान इसने विवेचक से इस प्रकार के कथनों का कोई वर्णन नहीं किया है। इस कृत्य का कारण भी उसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी दशा में इस साक्षिया के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।

53- अभियुक्त ने धारा-313 दं०प्र०सं० के बयान में यह कहा है कि गवाहान झूठी गवाही दे रहे हैं तथा उसके विरुद्ध मुकदमा झूठा चला है। गवाहन अभियुक्त के विरुद्ध क्यों झूठी गवाही दे रहे हैं, उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा क्यों चला, इस सम्बन्ध में अभियुक्त की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

54- **विधि व्यवस्था State Vs. N.M.T. Joy Immaculate AIR 2004 S.C.228.** में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया कि बयान धारा 313 दं०प्र०सं० में किसी साबित तथ्य के प्रश्न के सम्बन्ध में यदि अभियुक्त द्वारा गलत उत्तर दिया जाता है अथवा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह एक अतिरिक्त परिस्थिति है, जिससे अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में सभी साबित तथ्यों के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

55- इस प्रकार अभियोजन साक्षियों द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा ही पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने से उसका व्यपहरण किया गया और उसे अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कर बलात्कार का अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त धारा -363, 366, 376 भा०दं०सं० के अधीन दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

56- उपरोक्त सम्प्रेक्षण से यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया जिसमें प्रवेशन द्वारा पीड़िता पर लैंगिक हमला का अपराध कारित किया गया, इस प्रकार अभियुक्त धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

57- अभियोजन द्वारा अभियुक्त नन्दू के विरुद्ध विरचित किये गये आरोप के अन्तर्गत सन्देह से परे यह साबित किया गया है कि कथित समय व स्थान पर अभियुक्त नन्दू द्वारा पीड़िता जिसकी जन्मतिथि 01-01-2007 है, को बहला फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से उसका व्यपहरण किया गया और उसे अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्संग का अपराध कारित किया गया जो कि धारा-3 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमले के रूप में परिभाषित है एवं धारा- 4 में दण्डनीय है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 42 पोक्सो अधिनियम 2012 में धारा 376 भा०दं०सं० के अनुकल्पिक दण्ड का प्रावधान धारा -4 पोक्सो अधिनियम के अपराध के विकल्प में है

जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त दोनों अपराध में समान दण्ड का उपबन्ध है। ऐसी दशा में विशिष्ट अपराध में अभियुक्त को दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। इसलिए अभियुक्त नन्दू को धारा-4 पोक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

58- उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों, मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य व विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियुक्त नन्दू भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं धारा-4 पोक्सो अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त नन्दू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-4 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। इस प्रकरण में अभियुक्त नन्दू जमानत पर है। उसके निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभियुक्त नन्दू को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 01-03-2024 को पेश हो। अभियुक्त को नियत दिनांक के लिए जिला कारागार से तलब किया जाये।

दिनांक 27-02-2024

(अवधेश कुमार सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

दिनांक-01-03-2024

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त नन्दू जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसका यह प्रथम अपराध है, वह गरीब एवं मजदूर व्यक्ति है, उसके घर में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है और इन्हीं आधारों पर उसे कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजनपक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा सामाजिक दृष्टि से बलात्संग जैसा बहुत ही गम्भीर व घृणित अपराध कारित किया गया है और इसी आधार पर उसे अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग लड़की को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता में से अयुक्त सम्भोग अथवा विवाह हेतु विवश करने के आशय से उसका व्यपहरण किया गया तथा उसे अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसके साथ अनैतिक सम्बन्ध कारित करते हुए बलात्संग जैसा घृणित कृत्य कारित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध नरमी बरते जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नन्दू को भारतीय दण्ड संहिता धारा 363 के अपराध के लिए तीन वर्ष के कारावास एवं 3000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता धारा 366 के अपराध के लिए पाँच वर्ष के कारावास एवं 6000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अपराध के लिए 20 वर्ष के कारावास एवं 50,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

आदेश

पी०एस०टी० संख्या-2285/2019, मुकदमा अपराध संख्या-349/2019 राज्य बनाम नन्दू, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद के मामले में

अभियुक्त नन्दू को भारतीय दण्ड संहिता धारा 363 के अपराध के लिए **तीन वर्ष** के कारावास एवं **3000/-रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त **15 दिन** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता धारा 366 के अपराध के लिए **पाँच वर्ष** के कारावास एवं **6000/-रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त **एक माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-4 के अपराध के लिए **20 वर्ष** के कारावास एवं **50,000/-रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त **एक वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।

अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाये तथा शेष धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा होगी।

इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क अभियुक्त को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला कारागार को प्रेषित की जाये।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अभियुक्त का सजायाबी अधिपत्र बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु सम्बन्धित जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनांक 01-03-2024

(अवधेश कुमार सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 01-03-2024

(अवधेश कुमार सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद